न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 45/2025/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक 6.2.2025
किस्म अपीलः अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उनवान

1. शंकरलाल आत्मज खाना जाति धाकड
2. महावीर आत्मज खाना जाति धाकड
3. पप्पूलाल आत्मज खाना जाति धाकड
4. विनोद आत्मज खाना जाति धाकड
5. कमलेश आत्मज खाना जाति धाकड
   निवासी ग्राम रजलावता तहसील नैनवा जिला बूंदी।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत रजलावता पंचायत समिति नैनवा जिला बूंदी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत रजलावता पंचायत समिति नैनवा जिला बूंदी।
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रजलावता पंचायत समिति नैनवा जिला बूंदी।
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बूंदी।

. .....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर, श्री नन्दसिंह हाडा – अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्री ललित नागर –अभिभाषक रेस्पो0 कम–1 व 2
पैरोकार सरकार– रेस्पो0 कम–3

:: निर्णय ::

दिनांक 2.7.2025

अपीलार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा जिला बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल संख्या प्रार्थना पत्र संख्याः 240/प्रा0पत्र/2023 अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती बउनवान ग्राम पंचायत रजलावता वगेरा बनाम राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील नैनवा मे पारित निर्णय दिनांक 24.1.2025 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रकरण मे आवश्यक/व्यथित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी बावत अपील पेश करने की अनुमति दिये जाने के साथ इस न्यायालय मे पेश की गई।

2 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 कम 1 व 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर आनलाईन राजस्व नक्शे मे ख0 सं0 369 के स्थान पर खसरा सं0 992 (गे.मु.रास्ता) ख0 सं0

अति. सं. आयुक्त
कोटा

368/1403 आबादी भूमि की तरमीम खसरा सं0 992 की उत्तरी मेड तक एंव खसरा सं0 369 की तरमीम खसरा संख्या 380, 381 के पूर्वी साइड मे खसरा सं0 368/1403 के पश्चिम साइड की मेड से लगवा दर्ज कर तरमीम दुरूस्त करने बावत तहसीलदार नैनवा के विरूद्ध पेश किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 24.1.2025 से स्वीकार कर ग्राम रजलावता तहसील नैनवा की भूमियों खसरा सं0 369 रकबा 0.0728 है0, ख0 सं0 992 रकबा 0.2427 है0 ख0 सं0 368/1403 रकबा 0.3236 है0 की तरमीम मुताबिक नक्शा शीट एंव नक्शा लठ्ठा मे दर्ज रकबे के अनुसार प्रस्तावित नक्शा जिसे परिशिष्ट "क" नाम दिया गया है के अनुसार शुद्ध किये जाने के आदेश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय/आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने प्रकरण मे आवश्यक/व्यथित पक्षकार होने से अपील पेश करने की अनुमति दिये जाने के प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ यह अपील न्यायालय हाजा पेश की गई जिसके संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ग्राम रजलावता स्थित आराजी खसरा नम्बर 369 रकबा 0.0728 है0 का खातेदार है तथा उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है इसके बावजूद भी अपीलांट को सुनवायी व साक्ष्य का तथा पक्षकार बनाये बिना ही आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया कि अपीलांट ख0 नं0 369 की आराजी हाल सेटलमेट से पूर्व जहां पर स्थित है उसी जगह पर नक्शा ट्रेस मे दर्शायी गई है, मौके पर किसी प्रकार परिवर्तन नही है तथा अपीलांट उपयोग व उपभोग कर रहा है। उक्त तथ्य की रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद भी अपीलांट के विरूद्ध बिना सुनवायी के आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से हाल सेटलमेंट से पूर्व की कोई रिपोर्ट प्राप्त नही की गई। रिपोर्ट प्राप्त की जाती तो पत्रावली पर वास्तविकता सामने आ जाती किन्तु रेस्पो0 द्वारा आपस मे कोल्यूजन कर अपीलांट को नुकसान पहुचाने के ध्येय से एक पक्षीय आदेश प्राप्त कर लिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अध्ययन किये बिना तथा पैरोकार सरकार अनुपस्थित रहने के बावजूद भी उपस्थिति लिखकर आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे ख0 सं0 369 एंव ख0 नम्बर 380 के संबध मे स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखा है उक्त वाद के प्रभावी रहते अपीलांट के विरूद्ध पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है। इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम क तहत नक्शे की दुरूस्ती नही की जा सकती। प्रकरण धारा 131, 136 मे गर्वन नही होता है उक्त धाराओ क अन्तर्गत सहमति के आधार पर ही आदेश प्रदान किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एंव न्याय संचिका मे सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.1.2025 निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन/नोटिस आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहसीलदार नैनवा की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे हमारी जमीन को दूसरी जगह Show किया है लेकिन हमे सुना नही गया ना ही हमे प्रकरण मे पक्षकार बनाया गया उपखण्ड अधिकारी के यहा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पैरा एक मे अपीलांट की जमीन भी रेस्पो0 ने स्वयं की बताई है तहसीलदार की रिपोर्ट 22.1.2025 अवलोकनीय है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान

अति. सं. अधिकारी कोटा

करते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड/प्रतिप्रेषित किया जावे।

5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 व 2 की ओर से बहस मे बताया मुताबिक सेटलमेट नक्शा अपीलांट पूर्व मे भी वही थे जहां अपीलाधीन निर्णय के पश्चात है। अपीलांट की जमीन कतई प्रभावित नही हुई है। अपीलांट प्रकरण मे प्रभावित पक्षकार नही होने से सुनवाई आवश्यक नही है। सेगरीगेशन सीट सही बनाई गई लेकिन ऑन लाईन गलत किया। रकबा व नक्शे मे कोई चेन्ज नही किया। अपीलांट्स प्रकरण मे प्रभावित पक्षकार नही होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 खारिज कर तदानुसार अपील खारिज की जाने योग्य है। बहस मे आगे बताया कि सेटलमेट का नक्शा, नक्शा लट्ठा सेगरीगेशन की ऑफलाईन शीट मे सही था किन्तु ऑनलाईन करते समय गलत होने से सही किया गया। ख0 नं0 369 को चेन्ज नही किया गया है। अतः अपीलांट प्रभावित पक्षकार नही होने से अपील खारिज की जाने का अनुरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रकरण मे लिखित बहस एंव न्यायिक दृष्टान्त पेश किये। लिखित बहस के सक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि ख0 नं0 369 व ख0 नं0 368/1403 आपस मे लगवा है जो नक्शा सन् 1971–72 से स्पष्ट है। ख0 नं0 369 का दर्ज रकबा 0.0728 है0 अपीलांट की खातेदारी मे है। ख0 नं0 368/1403 रकबा 0.3236 है0 गै0मु0आबादी ग्राम पंचायत रजलावता के नाम दर्ज है सेगरीगेशन की कार्यवाही के दौरान त्रुटि से ख0नं0 368/1403 का नक्शा सेगरीगेशन शीट मे पूर्व नक्शे की अपेक्षा छोटा दर्शा दिया और ख0 नं0 369 का नक्शा बढा दर्शाते हुये ख0 नं0 368/1403 को ख0 नं0 369 के नक्शे मे शामिल करते हुये दर्शा दिया। जिस पर तहसीलदार नैनवा से राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय ने मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, त्रुटि को दुरूस्त कर नक्शा मे तरमीम शुद्ध करने का आदेश प्रदान किये गये है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय ने नही की है और इस आदेश से किसी भी व्यक्ति या अपीलांट के कोई हक अधिकार प्रभावित नही हुये है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से अपील खारिज योग्य है। अपीलांट की खातेदारी की भूमि ख0 नं0 369 को गत नक्शे के मुकाबले अलग जगह दर्शा दिया गया हो या रकबा कम कर दिया हो ऐसे कोई आधार अपीलांटस द्वारा अपील मे पेश नही किये गये है। जब पूर्व नक्शे अनुसार अनुसार ही नक्शा शुद्ध किया गया है तो फिर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार ही नही था। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है। लिखित बहस मे यह भी अंकित किया गया कि गलत इन्द्राज व नक्शे का नाजायज फायदा उठाकर रेस्पो0 के विरूद्ध गैरमुमकिन आबादी मे रिहायश कर रहे लागो को परेशान व प्रताडित कर रहे है और इसी दुर्भाविक उद्धेश्य के तहत अपीलांट ने यह अपील गलत तथ्यो के आधार पर पेश की है। अपने कथन के समर्थन मे 2023 (2) आरआरटी पेज 821, आरआरटी 2023 (1) पेज 829, आरआरटी 2024 (1) पेज 386 आरआरटी (1) पेज 118 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

6 पैरोकार सरकार रेस्पो0 क्रम 3 ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना जाहिर किया।

7 पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान एंव पैरोकार सरकार पर मनन किया। अपीलांट्स द्वारा उपखण्ड अधिकारी नैनंवा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.1.2025 के विरूद्ध प्रकरण मे आवश्यक/व्यथित पक्षकार होना वर्णित करते हुये धारा 96

अति. जि. आयुक्त
कोटा

सीपीसी बावत अपील पेश करने की अनुमति दिये जाने के प्रा0 पत्र के साथ अपील धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत रेस्पो0 के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे पेश की है। अतः न्यायहित मे गुणावगुण के आधार पर विचार/निर्णित करने से पूर्व प्रकरण मे यह देखा जाना है कि आया अपीलांट्स प्रकरण मे किस प्रकार आवश्यक/व्यथित पक्षकार है अथवा नही। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख, राजस्व रिकार्ड एंव अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पो0 कम 1 व 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर आनलाईन राजस्व नक्शे मे ख0 सं0 369 के स्थान पर खसरा सं0 992 (गे.मु.रास्ता) ख0 सं0 368/1403 आबादी भूमि की तरमीम खसरा सं0 992 की उत्तरी मेड तक एंव खसरा सं0 369 की तरमीम खसरा संख्या 380, 381 के पूर्वी साइड मे खसरा सं0 368/1403 के पश्चिम साइड की मेड से लगवा दर्ज कर तरमीम दुरूस्त करने बावत तहसीलदार नैनवा के विरूद्ध पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 24.1.2025 से स्वीकार कर ग्राम रजलावता तहसील नैनवा की भूमियों खसरा सं0 369 रकबा 0.0728 है0, ख0 सं0 992 रकबा 0.2427 है0 ख0 सं0 368/1403 रकबा 0.3236 है0 की तरमीम मुताबिक नक्शा शीट एंव नक्शा लठ्ठा मे दर्ज रकबे के अनुसार प्रस्तावित नक्शा जिसे परिशिष्ट ''क'' नाम दिया गया है के अनुसार शुद्ध किये जाने के आदेश दिये गये है।

8. हस्तगत अपील प्रकरण मे अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि तहसीलदार नैनवा की रिपोर्ट 22.1.2025 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे हमारी जमीन को दूसरी जगह Show किया है लेकिन हमे सुना नही गया ना ही हमे प्रकरण मे पक्षकार बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय मे ख0 सं0 369 एंव ख0 नम्बर 380 के संबध मे स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखा है उक्त वाद के प्रभावी रहते अपीलांट के विरूद्ध पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड/प्रतिप्रेषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण मे दिनांक 22.1.2025 को तहसीलदार नैनवा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/जवाब इस आशय की प्रस्तुत की गई कि ग्राम रजलावता के लठ्ठा नक्शा मे ख0 सं0 992 दर्ज रिकार्ड है जबकि आनलाईन नक्शा एंव सेग्रीगेशन के बाद की नक्शा शीट मे ख0सं0 992 का कही पर भी अंकन नही है तथा ख0 सं0 368/1403 की सेग्रीगेशन की शीट से रकबा बरारी करने पर रकबा लगभग 9 बिस्वा आता है जबकि मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार खसरा सं0 368/1403 का रकबा 0.3236 (2 बीघा) दर्ज रिकार्ड है। ख0 सं0 368/1403 मुताबिक राजस्व नक्शा लठ्ठा मे अस्पष्ट तरमीम लगभग 6 बिस्वा ही दर्ज है। खसरा नम्बर 369 सेग्रीगेशन नक्शा शीट एंव नक्शा लठ्ठा मे ख0 सं0 380 के पूर्वी दिशा की डोटेड लाईन के पूर्व मे दर्ज है जो सहवन से ऑनलाईन नक्शा मे खसरा संख्या 992 के स्थान पर दर्ज हो गया तथा खसरा सं0 992 सम्पूर्ण ऑन लाईन नक्शे मे हट गया। मुताबिक नक्शा शीट एंव नक्शा लठ्ठे के अनुसार ख0सं0 369 व 992 को दर्ज करने का आदेश व ख0 सं0 368/1403 को मुताबिक राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी मे दर्ज रकबा 0.3236 है0 की तरमीम शुद्ध करने की अभिशंषा करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने मुताबिक नक्शा शीट एंव नक्शा लठ्ठे के अनुसार ख0 सं0 369 व 992 को दर्ज करने व ख0सं0 368/1403 को मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे दर्ज रकबा 0.3236 है0 की तरमीम शुद्ध करने का आदेश

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा

मुताबिक आधार अभिलेख राजस्व रिकार्ड के पारित किया है जिसमे किसी प्रकार विधिक एंव तथ्यात्मक दोष निहित होना प्रकट नही होता है।

9 पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख, राजस्व रिकार्ड एंव रिपोर्ट तहसीलदार नैनवा के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय से अपीलांट की जमीन कतई प्रभावित नही हुई है। अपीलांट पूर्व मे भी वही थे जहां अपीलाधीन निर्णय के पश्चात है। अपीलांट प्रकरण मे प्रभावित पक्षकार नही होने से सुनवाई आवश्यक नही है। अपीलांट प्रकरण मे किस प्रकार से आवश्यक/प्रभावित पक्षकार है इस संबध समुचित आधार अभिलेख हस्तगत अपील प्रकरण मे उपलब्ध नही है ना ही अपीलांट्स द्वारा बहस के दौरान प्रकट किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय मे ख0 सं0 369 एंव ख0 नम्बर 380 के संबध मे स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किये जाने का कथन करते हुये उक्त वाद के प्रभावी रहते अपीलांट के विरूद्ध पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने का कथन तो किया है किन्तु अपने कथन के समर्थन मे वाद की प्रमाणित प्रति अथवा दस्तावेजी आधार अभिलेख प्रस्तुत नही किये है ऐसी स्थिति मे समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे अपीलांटस का कथन स्वीकार योग्य नही है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से प्रकट होता है कि प्रकरण मे सेगरीगेशन सीट सही बनाई गई लेकिन ऑन लाईन गलत किया। रकबा व नक्शे मे कोई चेन्ज नही किया। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार नैनवा से राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट प्राप्त कर मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, त्रुटि को दुरूस्त कर नक्शा मे तरमीम शुद्ध करने का जेरअपील आदेश दिनांक 24.1.2025 पारित किया है जो राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 मे विहित प्रावधानो के तहत विधिसम्मत होने से हम अधिनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय मे किसी प्रकार की विधिक एंव तथ्यात्मक त्रुटि नही पाते है तथा उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि जेरअपील निर्णय से अपीलांट्स के कोई हक अधिकार प्रभावित नही हुये है। अतः प्रकरण मे अपीलांट्स प्रभावित/आवश्यक पक्षकार नही होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार योग्य नही है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तदानुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

10 निर्णय आज दिनांक 2.7.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

2/7/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा